

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

क्षेमा सुकृति

एफ. ए. क्यू

1. मैं बीमा के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से क्षेमा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

2. मैं क्षेमा ऐप कैसे डाउनलोड करूँ?

यदि आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर पर जाएं, "क्षेमा ऐप" टाइप करें, चुनें और इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करें। ऐप पर पंजीकरण करें।

3. इस पॉलिसी के तहत कौन से जोखिम/खतरे शामिल हैं?

आपके द्वारा चयनित खतरों के कारण बीमित फसल को नुकसान या नुकसान-एक प्रमुख खतरों से और एक छोटे खतरों से-नीचे दी गई सूची से:

प्रमुख खतरे

- बाढ़
- जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं)
- चक्रवात नाम दिया गया
- तूफान

छोटे खतरे

- पशुओं का हमला
 - हाथी
 - जंगली सूअर
- सुनामी सहित भूकंप
- बिजली गिरने से लगी आग
- भूस्खलन

4. इस पॉलिसी के तहत बीमित राशि का निर्धारण/निर्धारण कैसे किया जाता है?

जैसा कि हमने खेत के स्थान के संबंध में प्रत्येक फसल के लिए खेती की लागत के आधार पर तय किया है। पशु हमले के कवरेज के तहत बीमित राशि अधिकतम 25 प्रतिशत बीमित राशि के लिए प्रतिबंधित है।

5. इस पॉलिसी के तहत प्रीमियम कैसे लिया जाता है?

पॉलिसी पर देय प्रीमियम फसल, अवधि, खतरों और स्थान पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के तहत न्यूनतम प्रीमियम रु. 499/- (चार सौ नब्बे-नौ) (जी. एस. टी. सहित) है।

6. जोखिम/कवरेज कब शुरू होता है?

पॉलिसी की शुरुआत बुवाई या प्रीमियम की प्राप्ति के अगले दिन से होती है, जो भी बाद में हो।

7. इस पॉलिसी को खरीदने के लिए न्यूनतम किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

क्षेमा आवेदन में नामांकन, प्रस्ताव प्रपत्र जमा करना, फार्म पॉलीगॉन पर कब्जा करना, भूमि रिकॉर्ड जमा करना, यदि किरायेदार किसान केवाईसी है तो किरायेदारी प्रमाण पत्र और आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।

8. हानि का आकलन कैसे किया जाता है?

रिमोट सेंसिंग तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नुकसान का आकलन किया जाता है।

9. क्या इस पॉलिसी में कोई लॉयल्टी बोनस या कोई दावा छूट नहीं है?
हां, इस नीति के तहत लॉयल्टी बोनस और कोई दावा छूट लागू नहीं है।
10. मुझे बुवाई प्रमाण पत्र कहाँ से मिल सकता है?
आपके क्षेत्र के कृषि विभाग के सरकारी अधिकारी बुवाई प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
11. क्या मैं अपनी पॉलिसी रद्द कर सकता हूँ?
हां, आप हमें लिखित रूप में या क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी समय इस नीति को रद्द कर सकते हैं। जब हम आपकी सूचना प्राप्त करेंगे तो नीति समाप्त हो जाएगी।
12. क्षेमा सुकृति नीति के तहत पॉलिसी को कब समाप्त माना जाएगा?
नीति निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाएगी:
 - फसल की कटाई
 - बीमाकृत घटना के कारण फसल का विनाश
 - कुल हानि के मामले में पूर्ण बीमित राशि का भुगतान
13. दावा और अपनी जिम्मेदारी के लिए कैसे आवेदन करें?
यदि कोई दुर्घटना होती है, तो आपको हमारी 24 घंटे की ग्राहक सेवा को 1800 572 3013 पर कॉल करके तुरंत हमें सूचित करना चाहिए या आप हमें customer.support@kshema.co पर ईमेल कर सकते हैं, सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं।